भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 891

07 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय:- मोटे अनाज का उत्पादन

891. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:
श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बुंदेलखंड और उत्तराखंड में बाजरे के उत्पाद को बढ़ाने के लिए एक विशेष नीति पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): जी हां। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार मक्का और जौ जैसे मोटे अनाजों के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-मोटे अनाज के अंतर्गत मोटे अनाज विकास कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। मक्का विकास कार्यक्रम 26 राज्यों, 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 237 जिलों में और जौ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के 39 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों के दौरान मोटे अनाजों (मक्का और जौ) का उत्पादन निम्नानुसार है:

मिलियन टन में उत्पादन

2018-19	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22***
29.35	30.49	33.31	34.98

* चतुर्थ अग्रिम अनुमानों के अनुसार

(ग) एवं (घ): मिलेट और मिलेट्स उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2018-19 से बुंदेलखंड (मध्य प्रदेश का दमोह जिला और उत्तर प्रदेश के बांदा,

चित्रकूट, जालौन और हमीरपुर जिलों) और उत्तराखंड के 9 जिलों सहित 14 राज्यों के 212 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत पोषक-अनाज (मिलेट्स) उप-मिशन क्रियान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-पोषक अनाज के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन, नई जारी की गई किस्मों/संकरों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, उन्नत कृषि उपकरणों/औजारों/संसाधन संरक्षण मशीनों, जल बचत उपकरणों, फसल अवधि के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसनों की क्षमता वर्धन, कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन, बीज मिनीकिटों का वितरण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार आदि के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। पोषक अनाजों के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन, पोषक अनाजों के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) और बीज केन्द्रों की स्थापना जैसे हस्तक्षेपों को भी एनएफएसएम के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है।

*****